प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

"Refresher Course for Police Inspectors"

दिनांक **21-08-2017** से **26-08-**2017

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 21-08-2017 से 26-08-2017 तक पुलिस निरीक्षकों के लिए छः दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम **"Refresher Course for Police Inspectors"** आयोजित किया गया। अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत, आई॰पी॰एस॰ अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों के कुल 16 पुलिस निरीक्षकों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रथम दिन Intellectual Property Rights के संबंध में सुश्री शशि सिंह, चेयरपर्सन CWEI, डॉ. के. एल. जैन Secretary General, Rajasthan Chamber of Commerce & Industry , श्री वेदान्त पुजारी, एडवोकेट, श्री विन्सेन्ट जोस Head of Instaquest, Intellectual Property Investigation and Enforcement company एवं श्री रोहित जैन ने Intellectual Property Rights के संबंध में विभिन्न कानून, इनके लागू किये जाने व उनके उल्लंघन रोकने में पुलिस की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री आर.एस. शर्मा, अति. निदेशक, एफ.एस.एल. (सेवानिवृत) ने 'विधि विज्ञान की सहायता कब कैसे ली जाएगी, विभिन्न घटनास्थलों से साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया एवं डी.एन.ए. परीक्षण, प्रादर्शों का परीक्षण, सील मुहर कर राय प्राप्त करने में ध्यान रखने योग्य बातें' के बारे में अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तृतीय सत्र में श्री लाल सिंह राव, डी. जे. (सेवानिवृत) ने अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान के दौरान की जाने वाली सामान्य गलतियां, जिसके कारण आरोपी बरी हो सकते हैं, के बारे में बताया। दिवस के अन्तिम सत्र में श्री कप्तान सिंह, पुलिस निरीक्षक, आरपीए ने पुलिस के 'सामाजिक दायित्व (पुलिस एक्ट की धारा 30) वरिष्ठ नागरिक एवं माता-पिता की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम, संबल योजना' पर विस्तृत व्याख्यान दिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री आर.एस. बत्रा, आरएएस (सेवानिवृत) ने 'जमीन व रेवेन्यू सम्बन्धी विवादों पर विस्तृत व्याख्यान दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तृतीय सत्र में श्री जे. के. सचदेवा, आईएएस (सेवानिवृत) ने सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में अपना व्याख्यान दिया। अन्तिम सत्र में श्री राजेन्द्र सिंह, पु.नि. ने संगठित अपराधों की रोकथाम एवं आभ्यासिक अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही के कानूनी प्रावधान एवं निरोधात्मक कार्यवाहियां- N.S.A., Raj. PASA Act-2006, H.O. Act-1953, राज. गुण्डा एक्ट, आर.पी.आर. 1965 एवं स्थानीय अधिनियम व दण्ड प्रक्रिया के प्रावधानों के बारे में विस्तृत रूप से बताया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के चतुर्थ दिन के प्रथम सत्र में श्री राजेश दुरेजा, पुलिस निरीक्षक, एटीएस, जयपुर ने 'सी.डी.आर. विश्लेषण' पर विस्तृत व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री आवेश सिंह, एडीपी, आरपीए ने 'महत्वपूर्ण कोर्ट रूलिंग (सर्वोच्च/उच्च न्यायालय) के बारे में विस्तृत रूप से बताया। तृतीय सत्र में श्रीमती अनुकृति उज्जैनिया, सहायक निदेशक (सी.डी.पी.एस.एम.) ने 'महिलाओं के विरूद्ध अपराध- दहेज मृत्यु, हमला एवं बलात्कार एवं पोक्सो अधिनियम 2012 के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। अन्तिम सत्र में श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए ने 'किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015, बाल श्रम, बाल तस्करी एवं पुलिस की भूमिका' पर विस्तृत व्याख्यान दिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के पंचम दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री मिलिन्द अग्रवाल, साईबर क्राईम एक्सपर्ट ने इन्टरनेट-धोखाधड़ी साइबर अपराध एवं कम्प्यूटर का किस प्रकार बेहतरीन उपयोग किया जा सकता है, पर विस्तृत व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री रमेश अरोड़ा, प्रोफेसर (सेवानिवृत) ने '**The Good Police Man**' पर व्याख्यान दिया। अन्तिम सत्र में श्री शेखर सिंह, फाइनेंशियल क्राईम इन्वेस्टिगेटर ने क्रेडिट कार्ड एवं बैंक धोखाधड़ी के बारे में बताया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तिम दिन के प्रथम सत्र में श्री दिलीप सैनी, सहायक निदेशक (स्पेशल कोर्स एवं सी.ओ.ई.) 'आर्थिक अपराध पर विस्तृत व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री महेश कुमार, उ.नि. ने आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के संबंध में बताया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह दिनांक 26.08.2017 को अपरान्ह में कॉन्फ्रेंस हॉल नं. 04 में आयोजित किया गया। श्री दिलीप सैनी, सहायक निदेशक, स्पेशल कोर्स एवं सी.ओ.ई. (कोर्स निदेशक) आरपीए के द्वारा पावर पाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से कोर्स रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया एवं कोर्स निदेशक के **उद्‌बोधन** के पश्चात् प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। श्री रणवीर सिंह, पुलिस निरीक्षक (सहायक कोर्स निदेशक) द्वारा धन्यवाद ज्ञापन व कोर्स समाप्ति की घोषणा की गई।

भवदीय,

कोर्स डायरेक्टर
आर.पी.ए., जयपुर